256

न्यायालयः– राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1006–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.03.2012 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर, के प्रकरण कमांक 11/2011–12 अपील

बच्चन सिंह पुत्र संता सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी ग्राम मायापुर तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.

--- आवेदक

विरूद्ध

1. लक्ष्मण पुत्र रामू सेहर निवासी मायापुर तह. व जिला श्योपुर म.प्र.
2. रमेश पुत्र रामू सेहर निवासी मायापुर तह. व जिला श्योपुर म.प्र.

--- अनावेदकगण

.....

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.पी धाकड़)

(अनावेदकगण के अधिवक्ता योगेन्द्र सिंह भदौरिया)

.....

आ दे श

(आज दिनांक 20-1-17 को पारित)

कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 11/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.03.2012 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू0 राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है। कि ग्राम मायापुर तहसील व जिला श्योपुर की भूमि सर्वे नम्बर 97/2 रकवा 12 बीघा अर्थात (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) भूमि सर्वे क. 97/2 रकवा 12 बीघा पर अनावेदक के पिता स्व. रामू पुत्र सुखदेव सेहर के नाम से थी परन्तु आवेदक द्वारा अवैध तरीके से नाम करवाने से अनुविभागीय

अधिकारी राजस्व श्योपुर के प्रक. 08/2010-11/अ-70(ख) पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया कि, ग्राम मायापुर की भूमि सर्वे क. 97/2 रकवा 12 बीघा पूर्व में रामू पुत्र सुखदेव सेहर निवासी ग्राम मायापुर के नाम भू-दान कृषक के रूप में दर्ज थी जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। वर्तमान खसरे में उक्त भूमि में से रकवा 9 बीघा 15 विश्वा आवेदक बच्चन सिंह पुत्र संता सिंह जाति जाट सिक्ख ने अपने नाम अंकित करा ली है तथा जो गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति हैं। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 11/94-95/अ-86 में पारित आदेश दिनांक 09.08.1995 से रामू पुत्र सुखदेव सेहर का भू-दान पट्टा निरस्त किया गया तथा न्यायालय तहसीलदार श्योपुर के प्रक. 06/2004-05/अ-86 में विधिवत कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 10.036.2005 से आवेदक बच्चन सिंह पुत्र संता सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी ग्राम मायापुर तहसील व जिला श्योपुर के नाम भू-दान कृषक के रूप में पट्टा स्वीकार किया गया है। उक्त कारण से आवेदक भू-दान कृषक होने से भूमिस्वामी है। उक्त प्रकरण में वर्तमान प्रविष्टिदार आवेदक बच्चन सिंह को तलब किया गया और पूर्व प्रविष्टिदार रामू पुत्र सुखदेव सेहर को भी सूचना पत्र जारी किया गया। पूर्व प्रविष्टिदार रामू पुत्र सुखदेव सेहर स्वयं उपस्थित हुआ तथा आवेदक बच्चन सिंह की ओर से उपस्थित होकर जबाव पेश कर बताया गया कि, उक्त भूमि अनुसूचित जाति के अन्य किसी सदस्य से आवेदक द्वारा अंतरण नहीं कराई है बल्कि भूमि शासन की थी और शासन द्वारा न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क. 06/04-05/अ-86 आदेश दिनांक 10.06.2005 से उसे भूमि पट्टे पर दी है जिसके आधार पर दिनांक 06.04.2007 को आवेदक बच्चन सिंह पुत्र संता सिंह जाति जाट सिक्ख को भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किया है। इस प्रकार प्रकरण में धारा 170(ख) म.प्र. भू राजस्व संहिता के उपबंध लागू नहीं होते हैं। उक्त कार्यवाही निरस्त की जाये परन्तु अनावेदकगण की शिकायत के आधार पर श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला श्योपुर द्वारा अपील प्रकरण क. 11/2011-12 पर दर्ज की जाकर अपील में पारित आदेश दिनांक 20.03.2012 से अनुचित कार्यवाही करते हुये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर द्वारा पारित आदेश निरस्त करने

में गंभीर भूल की है। उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत है जो स्वीकार की जाये।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओ पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एवं प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि ग्राम मायापुर तहसील व जिला श्योपुर की भूमि सर्वे नम्बर 97/2 रकवा 12 बीघा में से 9 बीघा 15 विश्वा का भू-दान कृषक के रूप में पट्टा न्यायालय तसहीलदार श्योपुर के प्रक्र. 06/04-05/अ-86 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2005 से आवेदक को भू दान कृषक के रूप में पट्टे पर दी है। दिनांक 06.04.2007 को आवेदक को भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किया है। उक्त प्रकरण में राजस्व निरीक्षक/मौजा पटवारी की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अनावेदक की ओर से उपस्थित हो कर प्रस्तुत जवाब एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि, ग्राम मायापुर की भूमि सर्वे क्रमांक 97/2 रकवा 12 बीघा पूर्व में रामू पुत्र सुखदेव जाति सेहर निवासी ग्राम मायापुर के नाम भू दान कृषक के रूप में दर्ज थी। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 11/1994-95/अ-86 में पारित आदेश दिनांक 09.08.1985 से रामू पुत्र सुखदेव सेहर का भू दान पट्टा निरस्त किया गया। न्यायालय तहसीलदार श्योपुर द्वारा आवेदक बच्चन सिंह पुत्र सन्ता सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी ग्राम मायापुर के नाम दिनांक 10.06.2005 से रकवा 9 बीघा 15 विस्वा का पट्टा विधित नियमों का पालन करते हुये किया गया है तथा दिनांक 06.04.2007 को भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये गये हैं। प्रकरण में रामू का पट्टा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के आदेश दिनांक 09.08.1995 से निरस्त हो कर भूमि शासन की हो गई। जिसके द्वारा पट्टा निरस्ती के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पूर्व पट्टाधारी रामू सेहर स्वयं उपस्थित हो कर दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। इस कारण उक्त भूमि का पट्टा आवेदक के हित में न्यायालय तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.06.2005 से रकवा 9 बीघा 15 विस्वा भूमि आवेदक बच्चन सिंह के नाम की गई है। इस कारण

अनावेदकगण द्वारा विद्वान कलेक्टर जिला श्योपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। उक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 20.03.2012 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

5/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आलोच्य आदेश को उचित मानते हुये निगरानी अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि, इस प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार श्योपुर के प्रकरण कमांक 06/2004-05/अ-86 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2005 से उक्त भूमि आवेदक को पट्टे पर दी गई है। जिस पर आवेदक काबिज होकर अधिपत्यधारी है। जिसका राजस्व अभिलेंख में नाम अंकित है। इस कारण आवेदक की निगरानी विधिवत् होने से स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जा कर विद्वान कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण कमांक 11/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.03.2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। न्यायालय तहसीलदार श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2005 यथावत् रखते हुये आवेदक का नाम पूर्वत् भूमि स्वामी मान्य करते हुये राजस्व अभिलेख में अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्यप्रदेश ग्वालियर